# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

Website: www.mdamuzaffarnagar.com&Email :mdamzn@yahoo.co.in
Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620859


पत्रांक / मु०वि०प्रा० / विज्ञापन / ट्रा०न०यो० / 2025 दिनांक:

सेवा मे,

1— सम्पादक,
दैनिक हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर

2— सम्पादक,
दैनिक मुजफ्फरनगर बुलेटिन

महोदय,

कृपया उपाध्यक्ष महोदया की स्वीकृति के क्रम में संलग्न ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रिक्त भूखण्डों / प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्किट में दुकानों को निविदा सह खुली नीलामी के माध्यम से मा0 काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित दुकानो / तहसील व्यवसायिक योजना भाग—1,भाग—2 एवं गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत समाचार पत्र के आगामी अंक दिनांक 22/5/2025 में 8 से0मी0 6 सेंटी मीटर साईज पर प्रकाशित कराकर प्रकाशन की चार प्रतियां एवं आर0ओ0 की एक छाया प्रति बिल के साथ इस कार्यालय को अविलम्ब प्राप्त कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— सूचना

भवदीय,

Digitally signed by
KUNWAR BAHADUR SINGH
Date: 21-05-2025
18:33:52

सचिव
मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुज़फ्फरनगर।

प्रतिलिपिः—

2. उपाध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ।

सचिव
मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुज़फ्फरनगर।

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रिक्त भूखण्डों/प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्किट एवं मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,खान्जहापुर में निर्मित दुकान, रिक्त दुकानों को निविदा सह खुली नीलामी के माध्यम से एवं तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2 एवं गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत अलोकप्रिय दुकानों को निर्धारित प्रकिया के अनुसार, पाने का

**स्वर्णिम अवसर**

| | |
|---|---|
| निविदा सह खुली नीलामी का आयोजन:–दिनांक 28.05.2025 समय प्रातः 11.00 बजे से सांय तक<br>• पंजीकरण पुस्तिका–दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक रू0 500/–HDFC,Nai Mandi,MZN में जमा कराते हुए, प्राप्त की जा सकती है। | निविदा सह खुली नीलामी का आयोजन– दिनांक 28.05.2025 में विकय उपरान्त रिक्त भूखण्ड/दुकान की दिनांक 4.06.2025 समय प्रातः 11.00 बजे से सांय तक<br>• पंजीकरण पुस्तिका– दिनांक 02.06.2025 से दिनांक 03.06.2025 तक रू0 500/– में HDFC,Nai Mandi,MZN में जमा कराते हुए, प्राप्त की जा सकती है। |

निविदा सह खुली नीलामी स्थल– कार्यालय विकास प्राधिकरण,मेरठ रोड,मुजफ्फरनगर।

1–आरक्षण शासनादेश दिनांक 31.8.98 में निर्धारित व्यवस्था के साथ आरक्षण लागू है।

2–आवेदक द्वारा दुकान/भूखण्ड की कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करते हुए निविदा सह खुली नीलामी में भाग लिया जा सकता है।

3–ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में दुकानों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को छत का अधिकार नहीं होगा ।

नोट–उपरोक्त के अतिरिक्त तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1 एवं गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में रिक्त अवशेष 02 दुकानें (अलोकप्रिय श्रेणी) उपरोक्त तिथि एवं समय पर प्रश्नगत श्रेणी की निर्धारित प्रकिया के अनुसार पाने का अवसर।

उपरोक्त योजनाओं के विषय में विस्तृत शर्तो एवं अन्य विवरण प्राधिकरण के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है एवं प्राधिकरण की वेबसाईट प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdamuzaffarnagar.org पर भी उपलब्ध है।

सचिव, विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

पंजीकरण संख्या ..................

# तहसील व्यवसायिक योजना भाग–2, गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना

में दुकानें प्राप्त करने हेतु  नियम व शर्तों की

## : विवरण पुस्तिका :

पंजीकरण दिनांक 26.5.2025 से 27.05.2025 तक

निविदा सह खुली नीलामी की दिनांक 28.05.2025

समयः– प्रातः 11.00 बजे से सांय तक

कार्यालय

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर

**Website: www.mdamuzaffarnagar.in & Email : mdamzn@yahoo.co.in**

**Ph. 0131-2621922   Fax. 0131-2620859**

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में दुकानों की निविदा– खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें–

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियॉ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित हैं।
2. तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना दुकानों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण **संलग्नक–1** में उल्लिखित है।
3. दुकान प्राप्ति एवं भाग लेने हेतु पात्रता–
   (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
   (2) आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
   (3) (अ) फर्म / साझेदारी फर्म / सोसायटी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (ब) प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (स) व्यक्तिगत स्वामी।
   (द) रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (य) ट्रस्ट (पंजीकृत / अपंजीकृत)
   (र) एच0यू0एफ0।
   (ल) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
   (व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
   (4) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति / फर्म को निविदा–सह–खुली नीलामी के समय दिये गये घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।
4. मोहरबन्द निविदायें ''**स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ**'' संलग्नक–2 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक–2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक–1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक–3) टैण्डर बॉक्स में न डाले।
5. निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में सलंग्नक–1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। निविद–सह–खुली नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं–

(A) जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर / बैंकर्स चैक्स मूल रूप में स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा

निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट / पे–आर्डर / बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(B) जिन्होनें मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेना चाहते है, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर / बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(C) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अनुमति होगा।

(D) यदि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयं पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकता है, जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म / कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी समिति के समक्ष अपना आथोराइजेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(E) यदि आवेदनकर्ता, फर्म / कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत / व्यक्तिगत स्वामी प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणित कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

(F) निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति दुकान की दर से दी जायेगी।

(G) एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार निविदा बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं ली जा सकेंगी।

6. आवेदक जिस दुकान हेतु पंजीकरण फार्म लेगा, वह उसी दुकान के लिए निविदा या नीलामी हेतु अधिकृत होगा। प्रत्येक दुकान के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स / बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर, आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।

7. नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा नीलामी समाप्त होने के उपरान्त मोहरबन्द निविदायें खोली जायेंगी एवं अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा / बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी भी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

8. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति के सूचना पत्र/आबंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिन में मूल्य की शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि (जमा धरोहर राशि का समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आबंटन पत्र/आबंटन–कम–किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगीः–

(A) व्यवसायिक दुकान की बकाया 75 प्रतिशत धनराशि 04 वर्ष की 16 समान त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देय होगी।

(B) पहली किश्त आवंटन/स्वीकृति पत्र जारी होने के 03 माह के अन्दर देय होगी, जिसका आवंटन–कम–किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

9. निविदा/नीलामी मे आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/पे–आर्डर मे से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/ पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

10. उच्चतम निविदा अथवा बोली का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने के उपरान्त 07 दिन की अवधि मे जमा की जाने वाली उक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि एक माह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पत्ति बहाल करने हेतु उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के साथ आवेदन करता है, तो सम्पत्ति नीलामी मूल्य के 1/2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि बहाली शुल्क के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

11. दुकान का आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त लगातार दो किश्तें जमा न होने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि यदि शेष हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी तथा दुकान के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता निरस्त शुदा दुकान को उक्तानुसार बहाली शुल्क के साथ बहाल नहीं कराता है, तो उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. आवंटी से व्यवसायिक दुकान के मूल्य का शत प्रतिशत धनराशि तथा दस्तावेज शुल्क आदि रूपये 500/– का भुगतान प्राप्त हो जाने एवं प्रचलित स्टाम्प डयूटी पर दुकान का निबन्धन करने के पश्चात कब्जा दिया जायेगा।

13. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

14. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प ड्यूटी वहन करके 06 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

15. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आंवटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

16. आवंटी परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं सांझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

17. दुकान का आंवटन ''जहां है जैसी है'' पद्धति पर किया जायेगा।

18. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा जिन व्यवसायिक दुकानों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख यदि विकास कार्य होने शेष हैं, वे नीलामी स्वीकृति के 06 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेंगे।

19. अन्य शर्तें :–

(1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आंवटी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2 एवं गर्बी स्कूल की व्यवसायिक योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा नजूल भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध उस पर देय सैलिसयम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि एवं ब्याज आदि के अन्य कृषको की भूमि दर बढाये जाने की स्थिति में उपरोक्त व्यवसायिक दुकान की भूमि का मूल्य बढता है, तो वह धनराशि उच्चतम निविदा/नीलामी दाता/आंवटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/ नीलामीदाता /आवंटी से वसूल की जायेगी । अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलामी की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त वाद विवाद मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में ही मान्य होगें।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(6) तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2 एवं गर्बी स्कूल की व्यवसायिक योजना में वर्तमान में आवंटित शॉप को किसी अन्य को विक्रय प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई आवंटी इससे पूर्व शॉप को विक्रय करता है तो उस दशा में प्राधिकरण से

विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण को उस दशा में यह अधिकार होगा कि वह विक्रय विलेख की अनुमति प्रदान करे अथवा निरस्त कर दे। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। आवंटी द्वारा विक्रय विलेख शर्तो का पालन न करने पर उसका विक्रय विलेख स्वतः ही शून्य होगा एवं उसकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायी आवंटी का होगा।

(7) दुकान प्राप्त किये जाने हेतु जो फार्म में प्रस्तावित व्यवसाय अंकित किया जायेगा। आंवटी बाध्य होगा कि स्थल पर वहीं व्यवसाय करे।

(8) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है, तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(9) दुकानों की छत का अधिकार मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का होगा।

(10) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर का निर्णय अंतिम होगा। उपाध्यक्ष को अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

(11) दुकान का कब्जा प्राप्त होने की तिथि से छः माह के अन्दर नियमानुसार व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने के की स्थिति में विक्रय पत्र निर्धारित अवधि के बाद स्वतः ही निरस्त/शून्य होगा तथा जमा धनराशि को प्राधिकरण को जब्त करने का अधिकार होगा।

(12) यह कि तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2 एवं गर्बी स्कूल की व्यवसायिक योजना में पूर्व में यदि किसी व्यक्ति था उसके परिवार के सदस्य के नाम में प्लाट आवंटित है उसे बोली में भाग लेकर बोली बोलने का अधिकार नही होगां।

(13) यदि आवेदक द्वारा आवेदक पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी गयी,पायी जाती है तो उस दशा में पंजीकरण/आवंटन/अनुबन्ध/विक्रय विलेख स्वतः निरस्त एवं शून्य होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।। इसके अतिरिक्त आवंटी के विरूद्व अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति को बंधक रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(15) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये अधिभार/शुल्क आबंटी द्वारा देय होगा।

(16) निर्धारित शर्तो में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को होगा।

(17) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटन के सम्बन्ध में शासन तथा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्ते तथा उनमें किये गये संशोधन एवं परिवर्तन भी लागू एवं मान्य होगे।

(18) समस्त विवादों के सम्बन्ध उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

**उपाध्यक्ष**

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

**निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा :–**

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य हैं।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम :

पिता का नाम :

पता :

फोन न0– :

| 1–भुगतान पद्वति | कोड |
|---|---|
| एक मुश्त भुगतान | 01 |
| किश्तो में | 02 |
| 2– सम्पत्ति श्रेणी | कोड |
| भूतल<br>प्रथमतल<br>द्वितीयतल | 110<br>111<br>112 |
| 3–लिंग0 | कोड |
| पुरूष | M |
| स्त्री | F |
| 4–आरक्षित श्रेणी | कोड |
| अनुसूचित जाति<br>अनुसूचित जनजाति<br>अन्य पिछडा वर्ग<br>विधायक,सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी<br>सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण, जल संस्थान,नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी<br>भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित<br>समाज के विकलांग व्यक्ति | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 |

# आवेदन

विवरण पुस्तिका / पंजीकरण फार्म दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक रूपये 500 / – नकद भुगतान करके क्रय की जा सकती है।

## आवेदन–पत्र भरने हेतु निर्देश

1. आवेदन–पत्र पर केवल आवेदक ही हस्ताक्षर करे।
2. आवेदक केवल भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करे जैसे 0,1,2,3,4,.
3. आवेदन पत्र भरने हेतु विभिन्न कोड संलग्न सूची में अंकित है।
4. अपूर्ण / अवैध आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा यदि पंजीकरण हो गया है तो निरस्त कर दिया जायेगा।
5. एक ब्लाक में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखे।
6. आवेदन–पत्र के साथ रूपये 10 / – के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में अवश्य संलग्न करें।
7. प्राधिकरण से पत्र व्यवहार करते समय पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।
8. पत्र–व्यवहार का पता बदलने पर प्राधिकरण को तुरन्त सूचित करें।
9. पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र व मूल निवास प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अपने बैंक खाते नम्बर की सत्यता प्रमाणित करने हेतु आवेदक इनकी फोटो प्रतिलिपियों पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें साथ ही एक चैक कैंसिल करते हुए बिना हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदन–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करें।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

## शपथ–पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं..................................................................................................................................

पुत्र/पत्नी...........................................................................................आयु........................................
निवासी..............................................................................................................................शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मैं आबंटन का सभी शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लघंन किया गया तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आबंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर ले।
3. मैं बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा मात्र एक ही आवेदन किया गया है।
4. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में यदि आबंटित दुकान के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करने हेतु सहमत हूँ।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों पर अथवा इससे पूर्व देयों का भुगतान सुनिश्चित करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारणवश मेरा आबंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मै उक्त स्थान.................................................................................. ...........................पर व्यवसाय करता था जिसकी फोटो संलग्न है, के अतिरिक्त मेरा व्यवसाय किसी और स्थान पर नहीं है।
7. मेरे द्वारा आवंटन की सभी शर्ते पूर्ण रूप से पढते हुए समझ ली गयी हैं एवं विवरण पुस्तिका की सभी शर्ते मुझे स्वीकार हैं।
8. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य हैं।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिरकरण

## मेरठ रोड़ मुजफ्फरनगर

तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में में
पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

पंजीकरण संख्या.........................

1. आवेदक का नाम..........................................................................................................
2. आवेदक के पिता/पति का नाम....................................................................................
3. लिंग पुरूष/स्त्री
4. आयु..............................................................................................................................
5. स्थायी पता.....................................................................................................................
   .........................................................................मो0.............................................पिन.................................
6. पत्र व्यवहार का पता........................................................................................................
   .......................................................मो0 ................................................पिन..........................................
7. तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में से संबंधित व्यवसाय/कारोबार का विवरण
   विभाग जहां पंजीकृत हैं...................................................................................................
   पंजीयन संख्या............................................दिनांक......................................................................
   व्यापार/कारोबार स्थल का पता........................................................................................
   (पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है)
8. क्या सामान्य आवेदक हैं? हाँ/नहीं
9. आवेदित दुकान का तल........................................................कोड..............................................
10. भुगतान की पद्धति......................................................................कोड..............................................
11. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें) कोड..............................................
12. जमा धनरशि रू0 (अंकों और शब्दों में)..........................................................................
    .....................................................................................................................................
    बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक संख्या.........................................दिनांक.....................................
    निर्गतकर्ता बैंक का नाम.....................................................................................................

13. धनराशि वापसी हेतु विवरण

बैंक खाता संख्या.............................................................................................................(बचत/चालू)

बैंक का नाम.................................................................................................................................

शाखा का नाम..............................................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में दुकान के पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियमों एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तथा मुझे मान्य हैं। मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचानाएं मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य हैं।

स्थानः

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>संलग्नक–2</u>

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## <u>निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र</u>

निविदा तिथिः– संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

निविदा डालने का समयः– पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

(निविदा डालने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

योजना का नामः– तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2 एवं गर्बी स्कूल की व्यवसायिक योजना भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) दुकान सं0................तल....................(ब) सम्पत्ति का उपयोग/प्रकार–..........................................(स) आरक्षित श्रेणी.........................

2. निविदादाता का नाम(हिन्दी में)..........................................................................................................

(अग्रेजी में)..........................................................................................................................................

3. निविदादाता के पिता/पति का नाम श्री...........................................................................................

4.निविदादाता की आयु............................वर्ष,लिंग......................वैवाहिक स्तर.........................................

5. पता..................................................................................................................................................

..................................................................................................................फोन सं0(निवास).....................................

(कार्यालय).......................................................व मोबाईल सं0.............................................................................................

6. यदि दुकान आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।...............................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो निविदादाता सहित उनके नाम, पतों का पूरा विवरण–

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.................................................................................................................................

(क) नाम.................................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पता :–...........................................................................................................

फोन सं0(निवास)..................................................................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0.......................................

स्थायी पता...............................................................................................................................फोन सं0 (निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0...............

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है).............................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है...................................................................................

(ग) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें:–...................................................................................

.........................................................................................................................................................

व्यवसायः–.............................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. निविदादाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम......................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

10 धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम.........................................................
........................................................................................................................................................

11. निविदादाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये..... ...............................................प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है। सभी शर्ते निविदादाता को मान्य हैं।

आवेदन की तिथि....................

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्रमांक.....................

**संलग्नक–3**

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

नीलामी तिथिः–संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

नीलामी का समयः– मध्याह्न 12 बजे से नीलामी समाप्ति तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

योजना का नामः –तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना भोपा रोड,मुजफ्फरनगर।

1. नीलामी किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) दुकान सं0.............तल........................(ब) सम्पत्ति का उपयोग/प्रकार–...............................................

(स) आरक्षित श्रेणी.........................

2. बोलीदाता का नाम(हिन्दी में)..........................................................................................................................

(अग्रेजी में)........................................................................................................................................

3. बोलीदाता के पिता/पति का नाम श्री..........................................................................................................

4. बोलीदाता की आयु...............................वर्ष,लिंग..........................वैवाहिक स्तर........................................

5. पता............................................................................................................................................

................................................................................................................................फोन सं0 (निवास)................................ (कार्यालय)........................व मोबाईल सं0........................................

6. यदि दुकान आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।.................................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो बोलीदाता सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क्र0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
| --- | --- | --- | --- |

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.......................................................................................................................................

(क)नाम........................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पताः–.......................................................................................................................

फोन सं0(निवास).................................(कार्यालय).........................व मोबाईल सं0........................................

स्थायी पता.......................................................................................................................................
फोन सं0(निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0..............................................................

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष(जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)..................................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.........................................................................................

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें:–...........................................................................................

..................................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. बोलीदाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम................................................ 10. धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये.... ......................जारीकर्ता बैंक का नाम.......................................................................................................

11. बोलीदाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये........................ प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तों का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है सभी शर्ते जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि.................... बोलीदाता के हस्ताक्षर

पंजीकरण संख्या ..................

# ट्रांसपोर्ट नगर योजना

## में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों के लिए भूखण्ड प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तों की

## : विवरण पुस्तिका :

पंजीकरण दिनांक 26.05.2025 से दि0 27.05.2025 तक

निविदा सह खुली नीलामी की दिनांक– 28.05.2025

समयः– प्रातः 11.00 बजे से सांय तक


## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर

**Website: www.mdamuzaffarnagar.org & Email : mdamzn@yahoo.co.in**

**Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620859**

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की भोपा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 पर स्थित ट्रांसपोर्टनगर योजना में ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक भूखण्डों की निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें–

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियाँ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित हैं।
2. ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण **संलग्नक–1** में उल्लिखित है।
3. भूखण्ड प्राप्ति एवं भाग लेने हेतु पात्रता–
   (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
   (2) आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
   (3) (अ) फर्म / साझेदारी फर्म / सोसायटी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (ब) प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (स) व्यक्तिगत स्वामी।
   (द) रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (य) ट्रस्ट (पंजीकृत / अपंजीकृत)
   (र) एच0यू0एफ0।
   (ल) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
   (व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
   (4) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति / फर्म को निविदा–सह–खुली नीलामी के समय दिये गये घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।
4. मोहरबन्द निविदायें ''**स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ**'' संलग्नक–2 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक–2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक–1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक–3) टैण्डर बॉक्स में न डाले।
5. निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में सलंग्नक–1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। निविद–सह–खुली नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं–

(A) जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(B) जिन्होनें मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेना चाहते है, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(C) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अनुमति होगा।

(D) यदि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयं पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकता है, जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी समिति के समक्ष अपना आथोराइजेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(E) यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणित कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

(F) निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी भूखण्ड हेतु अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर अंकित करनी होगी।

(G) एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार निविदा बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं ली जा सकेंगी।

6. आवेदक जिसभूखण्डहेतु पंजीकरण फार्म लेगा, वह उसी भूखण्ड के लिए निविदा या

नीलामी हेतु अधिकृत होगा। प्रत्येक भूखण्ड के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।

7. नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा नीलामी समाप्त होने के उपरान्त मोहरबन्द निविदायें खोली जायेंगी एवं अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना

कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी भी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

8. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति के सूचना पत्र/आबंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिन में मूल्य की शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि (जमा धरोहर राशि का समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आबंटन पत्र/आबंटन–कम–किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगीः–

(A) भूखण्ड की बकाया 75 प्रतिशत धनराशि 04 वर्ष की 16 समान त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देय होगी।

(B) पहली किश्त आवंटन/स्वीकृति पत्र जारी होने के 03 माह के अन्दर देय होगी, जिसका आवंटन–कम–किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

9. निविदा/नीलामी मे आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/पे–आर्डर मे से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/ पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

10. उच्चतम निविदा अथवा बोली का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने के उपरान्त 07 दिन की अवधि मे जमा की जाने वाली उक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि एक माह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पत्ति बहाल करने हेतु उपरेाक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के साथ आवेदन करता है, तो सम्पत्ति नीलामी मूल्य के 1/2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि बहाली शुल्क के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

11. भूखण्ड का आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त लगातार दो किश्तें जमा न होने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि यदि शेष हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी तथाभूखण्डके निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता निरस्त शुदा भूखण्ड को उक्तानुसार बहाली शुल्क के साथ बहाल नहीं कराता है, तो उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. आवंटी से भूखण्ड के मूल्य का शत प्रतिशत धनराशि एवं 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि तथा दस्तावेज शुल्क आदि रूपये 500/– का भुगतान प्राप्त हो जाने एवं प्रचलित स्टाम्प डयूटी पर भूखण्ड का निबन्धन करने के पश्चात कब्जा दिया जायेगा।

13. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

14. फ्रीहोल्ड शुल्क (कीमत+लोकेशन चार्ज) का 12 प्रतिशत लिया जायेगा, जो कि रजिस्ट्री से पूर्व समय देय होगा।

15. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प ड्यूटी वहन करके 06 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

16. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आंवटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

17. आवंटी परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं सांझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

18. भूखण्ड का आंवटन ''जहां है जैसी है'' पद्धति पर किया जायेगा।

19. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा जिन व्यवसायिक भूखण्डों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख यदि विकास कार्य होने शेष हैं, वे नीलामी स्वीकृति के 06 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेंगे।

20. अन्य शर्तें :–

(1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आंवटी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध उस पर देय सैलिसयम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि एवं ब्याज आदि के अन्य कृषको की भूमि दर बढाये जाने की स्थिति में उपरोक्त व्यवसायिक भूखण्ड की भूमि का मूल्य बढता है, तो वह धनराशि उच्चतम निविदा/नीलामी दाता/आंवटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/ नीलामीदाता /आवंटी से वसूल की जायेगी । अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलामी की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त वाद विवाद मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में ही मान्य होगें।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(6) ट्रांसपोर्टनगर में वर्तमान में आवंटित भूखण्ड को विक्रय प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई आवंटी इससे भूखण्ड को बिना अनुमति के विक्रय किया जाता है तो उस दशा में प्राधिकरण प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह विक्रय विलेख की अनुमति प्रदान करे अथवा निरस्त कर दे। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। आवंटी द्वारा विक्रय विलेख शर्तो का पालन न करने पर उसका विक्रय विलेख स्वतः ही शून्य होगा एवं उसकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायी आवंटी का होगा।

(7) भूखण्ड प्राप्त किये जाने हेतु जो फार्म में प्रस्तावित व्यवसाय अंकित किया जायेगा। आंवटी बाध्य होगा कि स्थल पर वहीं व्यवसाय करे।

(8) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है, तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(9) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर का निर्णय अंतिम होगा। उपाध्यक्ष को अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

(10) भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने की तिथि से छः माह के अन्दर नियमानुसार व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने के की स्थिति में विक्रय पत्र निर्धारित अवधि के बाद स्वतः ही निरस्त/शून्य होगा तथा जमा धनराशि को प्राधिकरण को जब्त करने का अधिकार होगा।

(11) यह कि ट्रांसपोर्ट नगर में पूर्व में यदि किसी व्यक्ति था उसके परिवार के सदस्य के नाम में प्लाट आवंटित है उसे बोली में भाग लेकर बोली बोलने का अधिकार नही होगां।

(12) यदि आवेदक द्वारा आवेदक पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी गयी,पायी जाती है तो उस दशा में पंजीकरण/आवंटन/अनुबन्ध/विक्रय विलेख स्वतः निरस्त एवं शून्य होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर विकास प्राााधिकरण के उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।। इसके अतिरिक्त आवंटी के विरूद्व अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(13) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति को बंधक रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(14) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त आबंटी द्वारा देय होगा।

(15) निर्धारित शर्तो में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को होगा।

(16) अपने व्यवसाय यथा; ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन, आर0सी0 की प्रति, फिटनेस सर्टिफिकेट जो वर्तमान में जारी किया गया हो एवं बिक्री कर विभाग में रजिस्ट्रेशन/टिन नम्बर की फोटो प्रति/आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं0/सर्विस टैक्स विभाग के रजिस्ट्रेशन की प्रति (यदि लागू है) प्रस्तुत करनी होगी।

(17) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटन के सम्बन्ध में शासन तथा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्ते तथा उनमें किये गये संशोधन एवं परिवर्तन भी लागू एवं मान्य होगे।

(18) भूखण्डों हेतु मिस्त्री, स्पेयर पार्टस शॉप को प्राथमिकता दी जायेगी।

(19) समस्त विवादों के सम्बन्ध उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

**उपाध्यक्ष**

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

**निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा :–**

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य हैं।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम :

पिता का नाम :

पता :

फोन न0– :

| 1–भुगतान पद्वति | कोड |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| एक मुश्त भुगतान | 01 |
| किश्तो में | 02 |
| **2– सम्पत्ति श्रेणी** | **कोड** |
| भूतल<br>प्रथमतल<br>द्वितीयतल | 110<br>111<br>112 |
| **3–लिंग** | **कोड** |
| पुरूष | M |
| स्त्री | F |
| **4–आरक्षित श्रेणी** | **कोड** |
| अनुसूचित जाति<br>अनुसूचित जनजाति<br>अन्य पिछडा वर्ग<br>विधायक,सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी<br>सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण, जल संस्थान,नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी<br>भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित<br>समाज के विकलांग व्यक्ति | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 |

# आवेदन

विवरण पुस्तिका/पंजीकरण फार्म लेखानुभाग से दिनांक 26.5.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक रूपये 500/– नकद भुगतान करके क्रय की जा सकती है।

## आवेदन–पत्र भरने हेतु निर्देश

1. आवेदन–पत्र पर केवल आवेदक ही हस्ताक्षर करे।
2. आवेदक केवल भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करे जैसे 0,1,2,3,4,.
3. आवेदन पत्र भरने हेतु विभिन्न कोड संलग्न सूची में अंकित है।
4. अपूर्ण/अवैध आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा यदि पंजीकरण हो गया है तो निरस्त कर दिया जायेगा।
5. एक ब्लाक में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखे।
6. आवेदन–पत्र के साथ रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में अवश्य संलग्न करें।
7. प्राधिकरण से पत्र व्यवहार करते समय पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।
8. पत्र–व्यवहार का पता बदलने पर प्राधिकरण को तुरन्त सूचित करें।
9. पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र व मूल निवास प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अपने बैंक खाते नम्बर की सत्यता प्रमाणित करने हेतु आवेदक इनकी फोटो प्रतिलिपियों पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें साथ ही एक चैक कैंसिल करते हुए बिना हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदन–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करें।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

## शपथ–पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं.................................................................................................................................

पुत्र/पत्नी..........................................................................................आयु.......................................निवासी.................
......................................................................................................शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मैं आबंटन का सभी शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लघंन किया गया तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आबंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर ले।
3. मेरे/मेरे परिवार के नाम ट्रांसपोर्ट नगर योजना में कोई अन्य भूखण्ड/भूखण्ड नहीं है न ही आवेदन किया गया है।
4. यदि मेरे/मेरे परिवार पर इस आवेदन/भूखण्ड पायी जाती है तो प्राधिकरण मेरे भूखण्ड को निरस्त करते हुए मेरी जमा धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा । जो प्रार्थी को स्वीकार होगा एवं किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं करेगा।
5. मैं बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा मात्र एक ही आवेदन किया गया है।
6. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में यदि आबंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करने हेतु सहमत हूँ।
7. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों पर अथवा इससे पूर्व देयों का भुगतान सुनिश्चित करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारणवश मेरा आबंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मै उक्त स्थान.......................................................................................................... .........पर व्यवसाय करता था जिसकी फोटो संलग्न है, के अतिरिक्त मेरा व्यवसाय किसी और स्थान पर नहीं है।
9. मेरे द्वारा आवंटन की सभी शर्ते पूर्ण रूप से पढते हुए समझ ली गयी हैं एवं विवरण पुस्तिका की सभी शर्ते मुझे स्वीकार हैं।
10. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य हैं।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

## मेरठ रोड़ मुजफ्फरनगर

ट्रांसपोर्टनगर योजना में
पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र
पंजीकरण संख्या.........................

1. आवेदक का नाम..........................................................................................................................
2. आवेदक के पिता/पति का नाम.........................................................................................
3. लिंग पुरूष/स्त्री
4. आयु...............................................................................................................................
5. स्थायी पता.......................................................................................................................
   ...................................................................मो0..........................................पिन................................
6. पत्र व्यवहार का पता.........................................................................................................
   .....................................................मो0 ..............................................पिन.........................................
7. ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय/कारोबार का विवरण
   विभाग जहां पंजीकृत हैं.......................................................................................................
   पंजीयन संख्या.........................................दिनांक.............................................................................
   व्यापार/कारोबार स्थल का पता.........................................................................................
   (पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है)
8. क्या सामान्य आवेदक हैं? हाँ/नहीं
9. आवेदितभूखण्डका तल..............................................................कोड..................................................
10. भुगतान की पद्धति.....................................................................कोड...............................................
11. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें) कोड.............................................
12. जमा धनरशि रू0 (अंकों और शब्दों में).........................................................................
    ...............................................................................................................................
    बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक संख्या....................................दिनांक.................................
    निर्गतकर्ता बैंक का नाम.......................................................................................................

13. धनराशि वापसी हेतु विवरण

बैंक खाता संख्या...................................................................................................(बचत / चालू)

बैंक का नाम.................................................................................................................................

शाखा का नाम.............................................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गतभूखण्डके पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियमों एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तथा मुझे मान्य हैं। मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचानाएं मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य हैं।

स्थानः

दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

निविदा तिथिः— संलग्नक—1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

निविदा डालने का समयः— पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थानः— कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

योजना का नामः— ट्रांसपोर्ट नगर योजना, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

(निविदा डालने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये हैः—

(अ)भूखण्ड सं0.................तल.....................(ब) सम्पत्ति का उपयोग / प्रकार—.............................................(स) आरक्षित श्रेणी..........................

2. निविदादाता का नाम(हिन्दी में)........................................................................................................................

(अग्रेजी में)...............................................................................................................................................

3. निविदादाता के पिता/पति का नाम श्री................................................................................................

4.निविदादाता की आयु...............................वर्ष,लिंग..........................वैवाहिक स्तर..........................................

5. पता...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................फोन सं0(निवास).......................................
(कार्यालय).........................................................व मोबाईल सं0.......................................................................................

6. यदि भूखण्ड आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।...................................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो निविदादाता सहित उनके नाम, पतों का पूरा विवरण–

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क्र0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें..............................................................................................................................................................

(क) नाम.......................................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पता :–...................................................................................................................................

फोन सं0(निवास)...................................................................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0.......................................

स्थायी पता..........................................................................................................................................................
फोन सं0 (निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0...............

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)...............................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है...........................................................................................

(ग) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतेंः–..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

व्यवसायः–.................................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. निविदादाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम...............................................................................
.......................................................................................................................................................................

10 धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम..................................................................................

11. निविदादाता द्वारा आवेदित भूखण्ड के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये.................... ................................प्रति वर्ग मीटर।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है। सभी शर्ते निविदादाता को मान्य हैं।

आवेदन की तिथि....................

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्रमांक....................

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

नीलामी तिथिः–संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

नीलामी का समयः– मध्याह्न 12 बजे से नीलामी समाप्ति तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

योजना का नामः – ट्रांसपोर्ट नगर योजना, भोपा रोड,मुजफ्फरनगर।

(नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. नीलामी किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ)भूखण्ड सं0.............तल.........................(ब) सम्पत्ति का उपयोग/प्रकार–................................................

(स) आरक्षित श्रेणी.........................

2. बोलीदाता का नाम(हिन्दी में)...................................................................................................................

(अग्रेजी में).......................................................................................................................................

3. बोलीदाता के पिता/पति का नाम श्री.............................................................................................

4. बोलीदाता की आयु..............................वर्ष,लिंग.........................वैवाहिक स्तर........................................

5. पता.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................फोन सं0 (निवास)..............................
(कार्यालय).......................व मोबाईल सं0......................................

6. यदि भूखण्ड आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।............................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो बोलीदाता सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.....................................................................................................................................................

(क)नाम...........................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पताः–........................................................................................................................

फोन सं0(निवास)..................................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0.......................................

स्थायी पता.........................................................................................................................................
फोन सं0(निवास)..................(कार्यालय).......................व मोबाईल सं0..........................................................

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष(जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)..................................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.........................................................................................

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतेंः–.......................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. बोलीदाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम................................................ 10. धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये. .........................जारीकर्ता बैंक का नाम..........................................................................................................

11. बोलीदाता द्वारा आवेदित भूखण्ड के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये........................ .प्रति वर्ग मीटर।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तों का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है सभी शर्ते जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि....................                                        बोलीदाता के हस्ताक्षर

ज

पंजीकरण संख्या ..................

मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,
ग्राम खान्जहापुर,मुजफ्फरनगर
में दुकानें प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तों की

# : विवरण पुस्तिका :

पंजीकरण दिनांक 26.05.2025 से 27.05.2025 तक

एवं निविदा सह खुली नीलामी आयोजन
दिनांक 28.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे से


## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर

**Website: www.mdamuzaffarnagar.in&Email :mdamzn@yahoo.co.in**

**Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620859**

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की ग्राम खान्जहापुर, मुजफ्फरनगर में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, में स्थित दुकानों की निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें–

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियॉ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित हैं।
2. मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना व्यवसायिक दुकानों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण **संलग्नक–1** में उल्लिखित है।
3. दुकान प्राप्ति एवं भाग लेने हेतु पात्रता–

(1) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

(3) (अ) फर्म / साझेदारी फर्म / सोसायटी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ब) प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(स) व्यक्तिगत स्वामी।

(द) रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(य) ट्रस्ट (पंजीकृत / अपंजीकृत)

(र) एच0यू0एफ0।

(ल) पंजीकृत कर्सोटियम(Consortium) फर्म।

(व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।

(4) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति / फर्म को निविदा–सह–खुली नीलामी के समय दिये गये घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।

4. मोहरबन्द निविदायें ''**स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ**'' संलग्नक–2 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक–2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक–1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक–3) टैण्डर बॉक्स में न डाले।
5. निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में सलंग्नक–1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। निविद–सह–खुली नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं–

(A) जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर / बैंकर्स चैक्स मूल रूप में स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट / पे–आर्डर / बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(B) जिन्होनें मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेना चाहते है, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर / बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(C) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अनुमति होगा।

(D) यदि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयं पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकता है, जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी समिति के समक्ष अपना आथोराइजेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(E) यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणित कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

(F) निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति दुकान की दर से दी जायेगी।

(G) एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार निविदा बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं ली जा सकेंगी।

6. आवेदक जिस दुकान हेतु पंजीकरण फार्म लेगा, वह उसी दुकान के लिए निविदा या नीलामी हेतु अधिकृत होगा। प्रत्येक दुकान के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।

7. नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा नीलामी समाप्त होने के उपरान्त मोहरबन्द निविदायें खोली जायेंगी एवं अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी भी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

8. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति के सूचना पत्र/आबंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिन में मूल्य की शुद्ध 15 प्रतिशत धनराशि (जमा धरोहर राशि का समायोजन करते हुए) , 25 प्रतिशत धनराशि एक माह के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आबंटन पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगीः–

(A) व्यवसायिक दुकान की बकाया 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह के उपरान्त चार वर्ष की त्रैमासिक किस्तों पर जमा करानी होगी ।

(B) विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

9. निविदा/नीलामी मे आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/पे–आर्डर मे से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/ पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

10. उच्चतम निविदा अथवा बोली का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने के उपरान्त 07 दिन की अवधि मे जमा की जाने वाली उक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि एक माह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पत्ति बहाल करने हेतु उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के साथ आवेदन करता है, तो सम्पत्ति नीलामी मूल्य के 1/2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि बहाली शुल्क के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

11. दुकान का आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त आवंटन निरस्त होने की दशा में जमा मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि यदि शेष हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी तथा दुकान के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता निरस्त शुदा दुकान को उक्तानुसार बहाली शुल्क के साथ बहाल नहीं कराता है, तो उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. निविदा सह खुली नीलामीदातां से दुकान के मूल्य का शत प्रतिशत धनराशि एवं 10 प्रतिशत लीज डीड की धनराशि तथा दस्तावेज शुल्क आदि रूपये 500/– का भुगतान प्राप्त हो जाने एवं प्रचलित स्टाम्प डयूटी पर दुकान का निबन्धन करने के पश्चात कब्जा दिया जायेगा।

13. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

14. लीज–डीड (कीमत+लोकेशन चार्ज) का 10 प्रतिशत लिया जायेगा, जो कि रजिस्ट्री से पूर्व समय देय होगा।

15. निविदा सह खुली नीलामी में प्राप्त परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प डयूटी वहन करके 06 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

16. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आंवटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

17. आवंटी परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं सांझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

18. दुकान का आंवटन ''जहां है जैसी है'' पद्धति पर किया जायेगा।

19. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा जिन वयसायिक दुकानों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख यदि विकास कार्य होने शेष हैं, वे नीलामी स्वीकृति के 06 माह की अवधि के अन्दर व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा।

20. अन्य शर्तें :–

(1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आंवटी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,ग्राम खान्जहापुर, मुजफ्फरनगर की भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि है। भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि दर या कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध उस पर देय सैलिसयम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि एवं ब्याज आदि की भूमि दर प्राप्त जाने की स्थिति में उपरोक्त व्यवसायिक दुकान की भूमि का मूल्य बढता है, तो वह धनराशि उच्चतम निविदा/नीलामी दाता/आंवटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/ नीलामीदाता /आवंटी से वसूल की जायेगी । अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलामी की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त वाद विवाद मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में ही मान्य होगें।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(6) मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,ग्राम खान्जहापुर,मुजफ्फरनगर में वर्तमान में आवंटित शॉप को किसी अन्य को लीज पर प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई आवंटी इससे पूर्व शॉप को विक्रय करता है तो उस दशा में प्राधिकरण से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण को उस दशा में यह अधिकार होगा कि वह विक्रय विलेख की अनुमति प्रदान करे अथवा निरस्त कर दे। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। आवंटी द्वारा विक्रय विलेख शर्तो का पालन न करने पर उसका लीज डीड स्वतः ही शून्य होगा एवं उसकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायी आवंटी का होगा।

(7) दुकान प्राप्त किये जाने हेतु जो फार्म में प्रस्तावित व्यवसाय अंकित किया जायेगा। आंवटी बाध्य होगा कि स्थल पर वहीं व्यवसाय करे।

(8) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है, तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(9) दुकानों की छत का अधिकार मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का होगा।

(10) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर का निर्णय अंतिम होगा। उपाध्यक्ष को अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली/ निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

(11) दुकान का कब्जा प्राप्त होने की तिथि से छः माह के अन्दर नियमानुसार व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने के की स्थिति में विक्रय पत्र निर्धारित अवधि के बाद स्वतः ही निरस्त/शून्य होगा तथा जमा धनराशि को प्राधिकरण को जब्त करने का अधिकार होगा।

(12) यह कि मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,ग्राम खान्जहापुर,मुजफ्फरनगर

में पूर्व में यदि किसी व्यक्ति था उसके परिवार के सदस्य के नाम में प्लाट आवंटित है उसे बोली में भाग लेकर बोली बोलने का अधिकार नही होगां।

(13) यदि आवेदक द्वारा आवेदक पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी गयी,पायी जाती है तो उस दशा में पंजीकरण/आवंटन/अनुबन्ध/विक्रय विलेख स्वतः निरस्त एवं शून्य होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।। इसके अतिरिक्त आवंटी के विरूद्व अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति को बंधक रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(15) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त आबंटी द्वारा देय होगा।

(16) निर्धारित शर्तो में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को होगा।

(17) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटन के सम्बन्ध में शासन तथा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्ते तथा उनमें किये गये संशोधन एवं परिवर्तन भी लागू एवं मान्य होगे।

(18) समस्त विवादों के सम्बन्ध उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

**उपाध्यक्ष**
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

**निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा :–**

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य हैं।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम :

पिता का नाम :

पता :

फोन न0– :

| 1–भुगतान पद्वति | कोड |
|---|---|
| एक मुश्त भुगतान | 01 |
| किश्तो में | 02 |
| 2– सम्पत्ति श्रेणी | कोड |
| भूतल | 110 |
| 3–लिंग | कोड |
| पुरूष | M |
| स्त्री | F |
| 4–आरक्षित श्रेणी | कोड |
| अनुसूचित जाति<br>अनुसूचित जनजाति<br>अन्य पिछडा वर्ग | 01<br>02<br>03 |

# आवेदन

विवरण पुस्तिका/पंजीकरण फार्म विकास प्राधिकरण कार्यालय से दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक रूपये 500/– नकद भुगतान करके क्रय की जा सकती है।

## आवेदन–पत्र भरने हेतु निर्देश

1. आवेदन–पत्र पर केवल आवेदक ही हस्ताक्षर करे।
2. आवेदक केवल भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करे जैसे 0,1,2,3,4,.
3. आवेदन पत्र भरने हेतु विभिन्न कोड संलग्न सूची में अंकित है।
4. अपूर्ण/अवैध आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा यदि पंजीकरण हो गया है तो निरस्त कर दिया जायेगा।
5. एक ब्लाक में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखे।
6. आवेदन–पत्र के साथ रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में अवश्य संलग्न करें।
7. प्राधिकरण से पत्र व्यवहार करते समय पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।
8. पत्र–व्यवहार का पता बदलने पर प्राधिकरण को तुरन्त सूचित करें।
9. पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र व मूल निवास प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अपने बैंक खाते नम्बर की सत्यता प्रमाणित करने हेतु आवेदक इनकी फोटो प्रतिलिपियों पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें साथ ही एक चैक कैंसिल करते हुए बिना हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदन–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करें।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

## शपथ–पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं.......................................................................................................................

पुत्र/पत्नी...........................................................................आयु........................................
निवासी............................................................................................................शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मैं आबंटन का सभी शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लघंन किया गया तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आबंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर ले।
3. मेरे/मेरे परिवार के नाम ट्रांसपोर्ट नगर योजना में कोई अन्य भूखण्ड/दुकान नहीं है न ही आवेदन किया गया है।
4. यदि मेरे/मेरे परिवार पर इस आवेदन/भूखण्ड/दुकान पायी जाती है तो प्राधिकरण मेरी दुकान को निरस्त करते हुए मेरी जमा धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा । जो प्रार्थी को स्वीकार होगा एवं किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं करेगा।
5. मैं बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा मात्र एक ही आवेदन किया गया है।
6. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में यदि आबंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करने हेतु सहमत हूँ।
7. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों पर अथवा इससे पूर्व देयों का भुगतान सुनिश्चित करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारणवश मेरा आबंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मै उक्त स्थान.............................................................................. ..........................पर व्यवसाय करता था जिसकी फोटो संलग्न है, के अतिरिक्त मेरा व्यवसाय किसी और स्थान पर नहीं है।
9. मेरे द्वारा आवंटन की सभी शर्ते पूर्ण रूप से पढते हुए समझ ली गयी हैं एवं विवरण पुस्तिका की सभी शर्ते मुझे स्वीकार हैं।
10. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य हैं।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

## मेरठ रोड़ मुजफ्फरनगर

मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,ग्राम खान्जहापुर, मुजफ्फरनगर

पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र पंजीकरण संख्या........................

1. आवेदक का नाम................................................................................................................
2. आवेदक के पिता/पति का नाम........................................................................................
3. लिंग पुरूष/स्त्री
4. आयु...............................................................................................................................
5. स्थायी पता.....................................................................................................................

.............................................................मो0.......................................पिन.................................

6. पत्र व्यवहार का पता.........................................................................................................

............................................मो0 ...........................................पिन..........................................

7. क्या सामान्य आवेदक हैं? हाँ/नहीं
8. आवेदित दुकान का तल........................................................कोड.............................................
9. भुगतान की पद्धति...............................................................कोड.............................................
10. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें) कोड.............................................
11. जमा धनरशि रू0 (अंकों और शब्दों में).............................................................................

..........................................................................................................................................

बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक संख्या...................................दिनांक.......................................

निर्गतकर्ता बैंक का नाम.......................................................................................................

12. धनराशि वापसी हेतु विवरण

बैंक खाता संख्या.....................................................................................................(बचत/चालू)

बैंक का नाम.......................................................................................................................

शाखा का नाम.....................................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत दुकान के पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियमों एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तथा मुझे मान्य हैं। मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचानाएं मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य हैं।

स्थानः

दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक–1

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, ग्राम खान्जहापुर,मुजफ्फरनगर व्यवसाय करने वालो के लिए दुकानों हेतु सम्पत्तियों का विवरण–

| क0सं0 | दुकान का विवरण | उपलब्ध दुकानों की संख्या | अनुमानित प्रीमियम | पंजीकरण धनराशि | आरक्षित श्रेणी शासनादेश सं0 481/का0–1–94–1–1–1994 29 मार्च,1994 के अन्तर्गत | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भूतल | दुकान सं0 1 | 12,51,700.00 | 1,25,180/– | अनुसूचित जाति | 50 प्रतिशत धनराशि एक माह के अन्दर बकाया 50 प्रतिशत धनराशि चार वर्ष की त्रैमासिक किस्तो पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करानी होगी |
| | | दुकान सं0 2 | 11,60,000.00 | 1,16,000/– | अनारक्षित | |
| | | दुकान सं0 3 | 11,60,000.00 | 1,16,000/– | अन्य पिछडा वर्ग | |
| | | दुकान सं0 4 | 11,60,000.00 | 1,16,000/– | अनारक्षित | |
| | | दुकान सं0 5 | 11,60,000.00 | 1,16,000/– | अन्य पिछडा वर्ग | |
| | | दुकान सं0 6 | 12,51,700.00 | 1,25,180/– | अनारक्षित | |

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

निविदा तिथिः– संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

निविदा डालने का समयः– पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

(निविदा डालने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

योजना का नामः– मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,ग्राम खान्जहापुर,मुजफ्फरनगर

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) दुकान सं0................तल....................(ब) सम्पत्ति का उपयोग / प्रकार–..........................................(स) आरक्षित श्रेणी.........................

2. निविदादाता का नाम(हिन्दी में)......................................................................................................

(अग्रेजी में)............................................................................................................................

3. निविदादाता के पिता / पति का नाम श्री.........................................................................................

4.निविदादाता की आयु..............................वर्ष,लिंग.........................वैवाहिक स्तर.........................................

5. पता....................................................................................................................................

..............................................................................................................फोन सं0(निवास)......................................

(कार्यालय)........................................................व मोबाईल सं0..........................................................................................

6. यदि दुकान आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।................................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो निविदादाता सहित उनके नाम, पतों का पूरा विवरण–

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.................................................................................................................................

(क) नाम.............................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पता :–..........................................................................................................................

फोन सं0(निवास)...................................................................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0.......................................

स्थायी पता............................................................................................................................................फोन सं0 (निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0...............

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)...............................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है..................................................................................................

(ग) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें:–...............................................................................................

.........................................................................................................................................................

व्यवसायः–..........................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. निविदादाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम.............................................................................

.........................................................................................................................................................

10 धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम...............................................................................................

11. निविदादाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये....................... .............................प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है। सभी शर्ते निविदादाता को मान्य हैं।

आवेदन की तिथि....................

निविदादाता के हस्ताक्षर

संलग्नक–3

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

नीलामी तिथिः–संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

(नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

नीलामी का समयः– मध्याह्न 12 बजे से नीलामी समाप्ति तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

योजना का नामः – मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना,ग्राम खान्जहापुर,मुजफ्फरनगर

1. नीलामी किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) दुकान सं0.............तल........................(ब) सम्पत्ति का उपयोग / प्रकार–...............................................

(स) आरक्षित श्रेणी.........................

2. बोलीदाता का नाम(हिन्दी में)...........................................................................................................................

(अग्रेजी में)..........................................................................................................................................................

3. बोलीदाता के पिता / पति का नाम श्री...........................................................................................................

4. बोलीदाता की आयु...............................वर्ष,लिंग..........................वैवाहिक स्तर........................................

5. पता..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................फोन सं0 (निवास)................................ (कार्यालय).......................व मोबाईल सं0.......................................

6. यदि दुकान आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।.................................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो बोलीदाता सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.......................................................................................................................................

(क)नाम.........................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पताः–...................................................................................................................

फोन सं0(निवास)...................................(कार्यालय).........................व मोबाईल सं0.......................................

स्थायी पता.................................................................................................................................. फोन सं0(निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0..............................................................

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष(जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)..................................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.........................................................................................

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें:–...........................................................................................

........................................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. बोलीदाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम................................................

10. धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम.................................................................................................

11. बोलीदाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये........................ प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तों का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है सभी शर्ते जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि.................... बोलीदाता के हस्ताक्षर

पंजीकरण संख्या ..................

# ट्रांसपोर्ट नगर योजना

## में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों के लिए दुकानें प्राप्त करने हेतु  नियम व शर्तों की

## : विवरण पुस्तिका :

पंजीकरण दिनांक 26.05.2025 से 27.05.2025 तक

निविदा सह खुली नीलामी की दिनांक 28.05.2025

समयः– प्रातः 11.00 बजे से सांय तक

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर
मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर
**Website: www.mdamuzaffarnagar.in & Email : mdamzn@yahoo.co.in**
**Ph. 0131-2621922   Fax. 0131-2620859**

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट नगर योजना में दुकानों की निविदा– –खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें–

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियॉ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित हैं।
2. **ट्रांसपोर्ट नगर योजना में** दुकानों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण **संलग्नक–1** में उल्लिखित है।
3. दुकान प्राप्ति एवं भाग लेने हेतु पात्रता–
   (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
   (2) आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
   (3) (अ) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (ब) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म–सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (स) व्यक्तिगत स्वामी।
   (द) रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
   (य) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)
   (र) एच0यू0एफ0।
   (ल) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
   (व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
   (4) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को निविदा–सह–खुली नीलामी के समय दिये गये घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।
4. मोहरबन्द निविदायें ''**स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ**'' संलग्नक–2 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक–2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक–1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक–3) टैण्डर बॉक्स में न डाले।

5. निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में सलंग्नक–1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। निविदा–सह–खुली नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं–

(A) जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(B) जिन्होनें मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेना चाहते है, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित आवेदन–पत्र (संलग्नक–3) के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(C) निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अनुमति होगा।

(D) यदि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयं पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकता है, जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म / कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा–सह–खुली नीलामी समिति के समक्ष अपना आथोराइजेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(E) यदि आवेदनकर्ता, फर्म / कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत / व्यक्तिगत स्वामी प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्टर्ड को–ओपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणित कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगें।

(F) निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति दुकान की दर से दी जायेगी।

(G) एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार निविदा बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं ली जा सकेंगी।

6. आवेदक जिस दुकान हेतु पंजीकरण फार्म लेगा, वह उसी दुकान के लिए निविदा या नीलामी हेतु अधिकृत होगा। प्रत्येक दुकान के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स / बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर, आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।

7. नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा नीलामी समाप्त होने के उपरान्त मोहरबन्द निविदायें खोली जायेंगी एवं अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा / बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी भी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

8. उच्चतम बोलीदाता / निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति के सूचना पत्र / आबंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिन में मूल्य की शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि (जमा धरोहर राशि का समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आबंटन पत्र / आबंटन–कम–किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगीः–

   (A) व्यवसायिक दुकान की बकाया 75 प्रतिशत धनराशि 04 वर्ष की 16 समान त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देय होगी।

   (B) पहली किश्त आवंटन / स्वीकृति पत्र जारी होने के 03 माह के अन्दर देय होगी, जिसका आवंटन–कम–किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

9. निविदा / नीलामी मे आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक / पे–आर्डर मे से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम बोलीदाता / निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक / पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

10. उच्चतम निविदा अथवा बोली का सूचना पत्र / आवंटन आफर पत्र जारी होने के उपरान्त 07 दिन की अवधि मे जमा की जाने वाली उक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समय पर जमा न

होने की दशा में आवंटन आफर स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि एक माह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पत्ति बहाल करने हेतु उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के साथ आवेदन करता है, तो सम्पत्ति नीलामी मूल्य के 1/2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि बहाली शुल्क के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

11. दुकान का आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त लगातार दो किश्तें जमा न होने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि यदि शेष हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी तथा दुकान के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता निरस्त शुदा दुकान को उक्तानुसार बहाली शुल्क के साथ बहाल नहीं कराता है, तो उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. आवंटी से व्यवसायिक दुकान के मूल्य का शत प्रतिशत धनराशि तथा दस्तावेज शुल्क आदि रूपये 500/– का भुगतान प्राप्त हो जाने एवं प्रचलित स्टाम्प डयूटी पर दुकान का निबन्धन करने के पश्चात कब्जा दिया जायेगा।

13. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

14. लीज डीड शुल्क(कीमत+लोकशन चार्ज) 10 प्रतिशत लिया जायेगा, जो कि लीज डीड की रजिस्ट्री से पूर्व देय होगा।

15. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प डयूटी वहन करके 06 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

16. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आंवटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

17. आवंटी परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं सांझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

18. दुकान का आंवटन ''जहां है जैसी है'' पद्धति पर किया जायेगा।

19. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा जिन दुकानों के निस्तारण हेतु निविदा–सह–खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख यदि विकास कार्य होने शेष हैं, वे नीलामी स्वीकृति के 06 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेंगे।

20. अन्य शर्तें :–

    (1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आंवटी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

    (2) प्राधिकरण की **ट्रांसपोर्ट नगर योजना** की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा नजूल भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध उस पर देय सैलिसयम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि एवं ब्याज आदि के अन्य कृषको की भूमि दर बढाये जाने की स्थिति में उपरोक्त व्यवसायिक दुकान की भूमि का मूल्य बढता है, तो वह धनराशि

उच्चतम निविदा/नीलामी दाता/आंवटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/नीलामीदाता /आवंटी से वसूल की जायेगी । अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलामी की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त वाद विवाद मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में ही मान्य होगें।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(6) ट्रांसपोर्ट नगर योजना में वर्तमान में आवंटित शॉप को किसी अन्य को विक्रय प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई आवंटी इससे पूर्व शॉप को विक्रय करता है तो उस दशा में प्राधिकरण से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण को उस दशा में यह अधिकार होगा कि वह विक्रय विलेख की अनुमति प्रदान करे अथवा निरस्त कर दे। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। आवंटी द्वारा विक्रय विलेख शर्तो का पालन न करने पर उसका विक्रय विलेख स्वतः ही शून्य होगा एवं उसकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायी आवंटी का होगा।

(7) दुकान प्राप्त किये जाने हेतु जो फार्म में प्रस्तावित व्यवसाय अंकित किया जायेगा। आंवटी बाध्य होगा कि स्थल पर वहीं व्यवसाय करे।

(8) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है, तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(9) दुकानों की छत का अधिकार मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का होगा।

(10) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर का निर्णय अंतिम होगा। उपाध्यक्ष को अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

(11) दुकान का कब्जा प्राप्त होने की तिथि से छः माह के अन्दर नियमानुसार व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने की स्थिति में विक्रय पत्र निर्धारित अवधि के बाद स्वतः ही निरस्त/शून्य होगा तथा जमा धनराशि को प्राधिकरण को जब्त करने का अधिकार होगा।

(12) यदि आवेदक द्वारा आवेदक पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी गयी,पायी जाती है तो उस दशा में पंजीकरण/आवंटन/अनुबन्ध/विक्रय विलेख स्वतः निरस्त एवं शून्य होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर विकास प्रााधिकरण के उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।। इसके अतिरिक्त आवंटी के विरूद्व अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(13) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति को बंधक रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(14) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त अधिभार/शुल्क आबंटी द्वारा देय होगा।

(15) निर्धारित शर्तो में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को होगा।

(16) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटन के सम्बन्ध में शासन तथा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्ते तथा उनमें किये गये संशोधन एवं परिवर्तन भी लागू एवं मान्य होगे।

(17) समस्त विवादों के सम्बन्ध उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

**उपाध्यक्ष**

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

**निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा :–**

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य हैं।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम :

पिता का नाम :

पता :

फोन न0– :

| 1–भुगतान पद्वति | कोड |
|---|---|
| एक मुश्त भुगतान | 01 |

| | |
|---|---|
| किश्तो में | 02 |
| **2– सम्पत्ति श्रेणी** | **कोड** |
| भूतल<br>प्रथमतल<br>द्वितीयतल | 110<br>111<br>112 |
| **3–लिंग0** | **कोड** |
| पुरूष | M |
| स्त्री | F |
| **4–आरक्षित श्रेणी** | **कोड** |
| अनुसूचित जाति<br>अनुसूचित जनजाति<br>अन्य पिछडा वर्ग<br>विधायक,सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी<br>सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो<br>उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण, जल संस्थान,नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी<br>भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित<br>समाज के विकलांग व्यक्ति | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 |

# आवेदन

विवरण पुस्तिका/पंजीकरण फार्म लेखानुभाग से दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 27.05.2025 तक रूपये 500/– नकद भुगतान करके क्रय की जा सकती है।

## आवेदन–पत्र भरने हेतु निर्देश

1. आवेदन–पत्र पर केवल आवेदक ही हस्ताक्षर करे।
2. आवेदक केवल भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करे जैसे 0,1,2,3,4,.
3. आवेदन पत्र भरने हेतु विभिन्न कोड संलग्न सूची में अंकित है।
4. अपूर्ण/अवैध आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा यदि पंजीकरण हो गया है तो निरस्त कर दिया जायेगा।
5. एक ब्लाक में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखे।
6. आवेदन–पत्र के साथ रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में अवश्य संलग्न करें।
7. प्राधिकरण से पत्र व्यवहार करते समय पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।
8. पत्र–व्यवहार का पता बदलने पर प्राधिकरण को तुरन्त सूचित करें।
9. पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र व मूल निवास प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अपने बैंक खाते नम्बर की सत्यता प्रमाणित करने हेतु आवेदक इनकी फोटो प्रतिलिपियों पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें साथ ही एक चैक कैंसिल करते हुए बिना हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदन–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करें।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

## शपथ–पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रूपये 10/– के जनरल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं.......................................................................................................................

पुत्र/पत्नी..............................................................................आयु......................................
निवासी..............................................................................................................शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मैं आबंटन का सभी शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लघंन किया गया तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आबंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर ले।
3. मैं बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा मात्र एक ही आवेदन किया गया है।
4. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में यदि आबंटित दुकान के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करने हेतु सहमत हूँ।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों पर अथवा इससे पूर्व देयों का भुगतान सुनिश्चित करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारणवश मेरा आबंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मै उक्त स्थान........................................................................................................पर व्यवसाय करता था जिसकी फोटो संलग्न है, के अतिरिक्त मेरा व्यवसाय किसी और स्थान पर नहीं है।
7. मेरे द्वारा आवंटन की सभी शर्ते पूर्ण रूप से पढते हुए समझ ली गयी हैं एवं विवरण पुस्तिका की सभी शर्ते मुझे स्वीकार हैं।
8. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य हैं।

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिरकरण

## मेरठ रोड़ मुजफ्फरनगर

तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में में
पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

पंजीकरण संख्या.........................

1. आवेदक का नाम..........................................................................................................

2. आवेदक के पिता/पति का नाम.............................................................................................

3. लिंग पुरूष/स्त्री

4. आयु..........................................................................................................................

5. स्थायी पता....................................................................................................................

   ...................................................................मो0............................................पिन..................................

6. पत्र व्यवहार का पता.........................................................................................................

   .......................................................मो0 ..........................................पिन.......................................

7. तहसील व्यवसायिक योजना भाग–1,भाग–2,गर्बी स्कूल व्यवसायिक योजना में से संबंधित व्यवसाय/कारोबार का विवरण
   विभाग जहां पंजीकृत हैं.........................................................................................................

   पंजीयन संख्या............................................दिनांक..........................................................................

   व्यापार/कारोबार स्थल का पता..............................................................................................

   (पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है)

8. क्या सामान्य आवेदक हैं? हाँ/नहीं

9. आवेदित दुकान का तल..............................................................कोड.................................................

10. भुगतान की पद्धति.........................................................................कोड.................................................

11. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें) कोड...............................................

12. जमा धनरशि रू0 (अंकों और शब्दों में)...........................................................................................

    ...........................................................................................................................................

    बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चेक संख्या.......................................दिनांक......................................

    निर्गतकर्ता बैंक का नाम..........................................................................................................

13. धनराशि वापसी हेतु विवरण

बैंक खाता संख्या........................................................................................................(बचत / चालू)

बैंक का नाम..................................................................................................................................

शाखा का नाम...............................................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने ट्रांसपोर्ट नगर योजना में दुकान के पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियमों एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तथा मुझे मान्य हैं। मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचानाएं मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य हैं।

स्थानः

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>संलग्नक–2</u>

# मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## <u>निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र</u>

निविदा तिथिः– संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

(निविदा डालने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

निविदा डालने का समयः– पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

योजना का नामः– **ट्रांसपोर्ट नगर योजना** ,भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) दुकान सं0................तल....................(ब) सम्पत्ति का उपयोग / प्रकार–........................................... (स) आरक्षित श्रेणी.........................

2. निविदादाता का नाम(हिन्दी में)..........................................................................................................

(अग्रेजी में)..........................................................................................................................................

3. निविदादाता के पिता / पति का नाम श्री...........................................................................................

4.निविदादाता की आयु..............................वर्ष,लिंग.........................वैवाहिक स्तर.........................................

5. पता.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................फोन सं0(निवास)....................................... (कार्यालय)......................................................व मोबाईल सं0..................................................................................

6. यदि दुकान आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।...................................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो निविदादाता सहित उनके नाम, पतों का पूरा विवरण–

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

क0सं0 नाम पता व्यवसाय

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.......................................................................................................................................

(क) नाम......................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पता :–.......................................................................................................................

फोन सं0(निवास)...................................................................(कार्यालय)..........................व मोबाईल सं0........................................

स्थायी पता..........................................................................................................................................फोन सं0 (निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0...............

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)...............................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.........................................................................................

(ग) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतेः–........................................................................................

..................................................................................................................................................

व्यवसायः–...................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. निविदादाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम.......................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

10 धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या.................जमा धनराशि अंकन रूपये..........................जारीकर्ता बैंक का नाम.................................................
..................................................................................................................................

11. निविदादाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये..... ...............................................प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है। सभी शर्ते निविदादाता को मान्य हैं।

आवेदन की तिथि....................

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्रमांक...........

......... **संलग्नक–3**

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

## नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

| |
|---|
| (नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो) |

नीलामी तिथिः–संलग्नक–1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

नीलामी का समयः– मध्याह्न 12 बजे से नीलामी समाप्ति तक

स्थानः– कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

योजना का नामः – **ट्रांसपोर्ट नगर योजना** ,भोपा रोड,मुजफ्फरनगर।

1. नीलामी किस सम्पत्ति के लिये हैः–

(अ) दुकान सं0.............तल.........................(ब) सम्पत्ति का उपयोग/प्रकार–...............................................

(स) आरक्षित श्रेणी..........................

2. बोलीदाता का नाम(हिन्दी में)..........................................................................................................

(अग्रेजी में)..........................................................................................................................

3. बोलीदाता के पिता/पति का नाम श्री..................................................................................

4. बोलीदाता की आयु...............................वर्ष,लिंग..........................वैवाहिक स्तर..........................................

5. पता.............................................................................................................................

.............................................................................................................फोन सं0 (निवास)................................ (कार्यालय).......................व मोबाईल सं0.......................................

6. यदि दुकान आरक्षित श्रेणी की है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।..................................................................

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो बोलीदाता सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण

**नोटः** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

| क्र0सं0 | नाम | पता | व्यवसाय |
|---|---|---|---|

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्सोटियम फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें..........................................................................................................................

(क)नाम.......................................................................................................................................

पत्र व्यवहार का पताः–........................................................................................................

फोन सं0(निवास)...................................(कार्यालय).........................व मोबाईल सं0.........................................

स्थायी पता.......................................................................................................................................
फोन सं0(निवास)..................(कार्यालय)........................व मोबाईल सं0.............................................................

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष(जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)..................................................................

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.....................................................................................................

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतेंः–...............................................................................................

.................................................................................................................................................

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. बोलीदाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम................................................ 10. धरोहर धनराशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या..................जमा धनराशि अंकन रूपये.... ......................जारीकर्ता बैंक का नाम.........................................................................................................

11. बोलीदाता द्वारा आवेदित दुकान के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये......................... प्रति दुकान।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये नियम–शर्तों का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है सभी शर्ते जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि....................                                बोलीदाता के हस्ताक्षर

संलग्नक–1

## मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की भोपा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में मिस्त्री, स्पेयर पार्टस व्यवसायी एवं ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वालो के लिए दुकानें हेतु सम्पत्तियों का विवरण–

| क्रम सं0 | श्रेणी | कुल दुकान सं0 एवं विवरण | आरक्षित दर–प्रति वर्ग मीटर | पंजीकरण धनराशि | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति | **05**<br>(1)CP-1(320.62), (2)A-13(101.57), (3)A-19(250.00), ,(4)B-179(40.00), (5)B-183(25.00), | | 10 प्रतिशत | चार वर्ष की त्रैमासिक किश्तों पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | **0** | | | |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग | 07<br>(1)A-15(101.57), (2)A-22(675.00), (3)B-167(40.00), (4)B-171(40.00), (5)B-177(40.00) ](6)B-205(32.00), (7)B-213(32.00) | | | |
| 4 | विधायक,सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | 01<br>(1)B-184(25.00) | | | |
| 5 | सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो | 01<br>(1) B-208(32.00), | | | |
| 6 | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण,जल संस्थान,नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 01<br>(1) B-166(44.64) | | | |
| 7 | भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित | 1<br>(1))B-172(40.00), | | | |
| 8 | समाज के विकलांग व्यक्ति | 2<br>(1)B-178(40.00), (2)B-214(32.00), | | | |
| 9 | अनारक्षित श्रेणी | 04<br>1)B-170(40.00), (2)B-182(40.00), (3)B-206(32.00) (4) B-210(32.00), | | | |